"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—— अग्रहायण 21, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ - 88/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा /2010/1375. —— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद (अविभाजित जिला-रायपुर) (छ. ग.) के 03 अभ्यर्थियों को अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 के लिए निरर्हित घोषित किये जाने की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
एस. के. तिवारी,
उप-सचिव

प्रकरण क्रमांक एफ - 88/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. नर्मदा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (अविभाजित जिला रायपुर) (छ.ग.)
2. मालती गोना राजवंशी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (अविभाजित जिला रायपुर) (छ.ग.)
3. रूखमणी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (अविभाजित जिला रायपुर) (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा [illegible] के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 4 दिसम्बर 2013.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित जिला रायपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपंचायत फिंगेश्वर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूखमणी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूखमणी से दिनांक 12 मार्च 2012 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उपरोक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों नर्मदा [illegible] दिनांक 6 जुलाई 2012 को तथा अभ्यर्थी मालती गोना राजवंशी को दिनांक 22 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ [illegible]र्थी नर्मदा को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर [illegible]यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है ; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

[illegible]र्थी मालती गोना राजवंशी द्वारा कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना जवाब दिनांक 7 अप्रैल 2010 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें [illegible] किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा विहित रीति से दिनांक 8 फरवरी 2010 को निर्वाचन अधिकारी को दाखिल कर दिया गया है. अभ्यर्थी [illegible] जवाब में विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दर्शाया गया कि वे दिनांक 15 जनवरी 2010 से 7 फरवरी [illegible] अस्वस्थ रही तथा नियमों की अनभिज्ञता के कार[illegible] निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल करने में असमर्थ रही. अभ्यर्थी के जवाब [illegible] निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 172 दिनांक 22 फरवरी 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि [illegible]ती गोना राजवंशी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिवस के अन्दर विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया [illegible] ने दिनांक 15 जनवरी 2010 से 7 फरवरी 2010 तक अस्वस्थ रहने तथा नियमों की अनभिज्ञता का उल्लेख किया है. यह ग्राह्य योग्य नहीं है क्योंकि [illegible]ने अस्वस्थता के संबंध में अधिकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों को व्यय लेखा [illegible] एवं नियमावली उपलब्ध कराई जाकर इस संबंध में जानकारी दी जाती है. अभ्यर्थी मालती गोना राजवंशी को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें [illegible] 29 अक्टूबर 2013 को आयोग में उपस्थित होने संबंधी सूचना सम्यक् रूप से तामील कराई गई. अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी निर्धारित तिथि को [illegible]योग में अनुपस्थित रहीं, अतः यह माना जाकर कि अभ्यर्थी मालती गोना राजवंशी को अपने पक्ष के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उनके विरूद्ध एक पक्षी[illegible]य कार्यवाही की गई.

5. अभ्यर्थी रूकमणी द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 31 मार्च 2010 को तथा पुन: दिनांक 23 जुलाई 2012 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा नगरपंचायत कार्यालय फिंगेश्वर में उनके अभिकर्ता द्वारा दाखिल कर दिया गया था. आयोग से कारण बताओ सूचना प्राप्ति के बाद आयोग कार्यालय में उक्त निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 31 मार्च 2010 को प्रस्तुत कर दिया. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1[illegible]9 दिनांक 17 सितम्बर 2013 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी रूखमणी के अभ्यावेदन में व्यय लेखा नगरपंचायत कार्यालय फिंगेश्वर में प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है ; किन्तु उसकी पुष्टि में प्रमाणस्वरूप कोई अभिलेख अथवा पावती प्रस्तुत नहीं की गई है. आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने संबंधी पावती प्रस्तुत की गई है. तथापि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु जानकारी दी गई है अतएव अभ्यर्थी का यह कथन ग्राह्य योग्य नहीं है कि उनके

द्वारा नगरपंचायत कार्यालय फिंगेश्वर में तथा उसके पश्चात् आयोग कार्यालय में निवार्चन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया. अभ्यर्थी को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग में दिनांक 29 अक्टूबर 2013 को आहूत किया गया था जिसकी सूचना सम्यक् रूप से अभ्यर्थी को तामील होने के उपरान्त भी वह निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहीं, अत: यह माना जाकर कि अभ्यर्थी रूखमणी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बंधित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन [illegible] गया . निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूखमणी ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है तथा पुन: दिनांक 7 मई 201[illegible] को संशोधित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि नगरपंचायत फिंगेश्वर की अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी रूखमणी ने दिनांक 31 मार्च 2010 को आयोग कार्यालय के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया है. यह भी उल्लेख किया कि निर्वाचन व्यय लेखा निहित रीति से निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी को दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-ख एवं निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुती) आदेश 1997 की कंडिया 7 (4) की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

> " **धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा-**प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है . अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

> " **धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना** - अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है . निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन , अभ्यर्थीगण मालती गोना राजवंशी एवं रूखमणी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत फिंगेश्वर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूकमणी द्वारा नियत समयावधि के भीतर विधि के अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) का उल्लंघन है. यद्यपि अभ्यर्थी मालती गोना राजवंशी द्वारा विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है लेकिन वे निर्वाचन व्यय [illegible] की प्रस्तुति में हुए विलंब का औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत करने में असफल रहीं. अभ्यर्थी के पास निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध था परन्तु निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं करा पाने के संबंध में उन्होंने कोई कारण नहीं दर्शाया है. उनके द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2010 से 7 फरवरी 2010 तक अस्वस्थ रहने के सन्दर्भ में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन्हें प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिये जाने पर वे सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहीं जिसके कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अत: अभ्यर्थी मालती गोना राजवंशी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुति हेतु दर्शाये गये कारण को अच्छा एवं औचित्यपूर्ण होना नहीं माना जा सकता. अन्य अभ्यर्थी रूकमणी ने यद्यपि अपने प्रस्तुत जवाब में निर्वाचन व्यय लेखा नगरपंचायत कार्यालय फिंगेश्वर में तथा उसके पश्चात् आयोग में दिनांक 31 मार्च 2010 को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है परन्तु यह तथ्य ग्राह्य योग्य नहीं है क्योंकि धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अभ्यर्थी रूखमणी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी को आयोग के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा उक्त निर्वाचन व्यय-लेखा ज्ञापन क्रमांक 1766 दिनांक 5 अप्रैल 2010 द्वारा निर्वाचन अधिकारी रायपुर को प्रेषित किया गया था जिसकी सूचना अभ्यर्थी को भी दी गई थी. इससे अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती. इस प्रकार अन्य अभ्यर्थी रूखमणी एवं मालती गोना राजवंशी निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समय पर विहित रीति से दाखिल करने में असफल रहीं एवं वे उक्त असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. अन्य अभ्यर्थी नर्मदा को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपनाजवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है. अत: उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूखमणी प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहीं हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखतीं है. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा

कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष एवं छै: माह की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थीगण नर्मदा, मालती गोना राजवंशी एवं रूकमणी को निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष एवं छै: माह की कालावधि के लिये नगरपंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 4 दिसम्बर 2013 को जारी किया गया .

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.